राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.2(2)नविवि/II/2012 जयपुर दिनांकः 25 FEB 2016

आदेश

राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17 के प्रावधानों के तहत श्री छीतरमल शर्मा, सेवानिवृत सहायक शासन सचिव, सचिवालय को नगरीय विकास विभाग के सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ में रू0 20,000/– प्रतिमाह की दर पर 1 वर्ष की अवधि हेतु विशेषाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री शर्मा को मानदेय की राशि का भुगतान जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा देय होगा।

उक्त आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग की आईडी संख्या ACS/udh/16/6466 दिनांक 24.02.2016 द्वारा प्राप्त सहमति अनुसार जारी किये गये है।

श्री छीतरमल शर्मा नगरीय विकास विभाग के सूचना अधिकार प्रकोष्ठ में निम्न लिखित कार्य सम्पादित करेगें :–

1. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की पत्रावली संबधित लोक सूचना अधिकारी/कर्मचारियों को प्रेषित कर सूचना एकत्रित कर संबंधित आवेदक को उपलब्ध करावेगें।
2. प्रथम अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में विभागीय पक्ष प्रस्तुत करेगें।
3. राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में नगरीय विकास विभाग की समस्त द्वितीय अपील में सुनवाई तिथि को उपस्थित होकर विभागीय पक्ष प्रस्तुत करेगें।
4. राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में नगरीय विकास विभाग की समस्त द्वितीय अपील के पारित निर्णय की क्रियान्विती सुनिश्चित करेगें।

आज्ञा से

25/2/16

(राजेन्द्र सिह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. श्री छीतरमल शर्मा, 5 बजरंग कॉलोनी लता सिनेमा के पीछे झोटवाडा, जयपुर मो0–9414321639।
5. अनुभागधिकारी आर.टी.आई, नगरीय विकास विभाग।

25/2/16
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय